



# यू० पी० बैंक इम्प्लाइज यूनियन

पंजीकरण संख्या-538  
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध

केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा-282002  
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा-282 001, मो: 09837472750

फोन/फैक्स: (नि०) 0562-4044383, E-mail: mmrai\_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com



परिपत्र संख्या : 2019-22/57/2020

दिनांक : 31.03.2020

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों  
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

## कोविड19 – सावधानी और बचाव

कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न समस्याओं से सावधान रहने तथा इससे बचाव के विषय में एआईबीईए केन्द्रीय कार्यालय द्वारा परिपत्र संख्या 28/183/2020/21 दिनांक 30.3.2020 जारी किया गया है। हम इस परिपत्र का अनूदित सार अपनी सभी इकाईओं एवं सदस्यों की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,  
आपका साथी

(मदन मोहन राय)  
महामंत्री

प्रिय साथियों,

हमारी सभी शाखा इकाईओं के ध्यान हेतु

## कोविड 19 – सावधानी और बचाव

हमें उन समस्याओं पर विभिन्न बैंकों से और विभिन्न राज्यों से अपने सदस्यों/इकाईओं से कई सारे चिंताजनक संदेश, ईमेल, फोन कॉल आदि आ रहे हैं, जिनका शाखाओं में आगामी दिनों में सामना करने की संभावना है।

इसकी काफी संभावना है कि अप्रैल, 2020 के पहले सप्ताह में वेतन जमा होने/पेंशन जमा होने, आदि के कारण शाखाओं में अधिक ग्राहक आ सकते हैं।

इसी तरह, सरकार की विभिन्न लाभ योजनाओं की घोषणा करने के साथ, उन लाभार्थियों की भी बड़ी संख्या में शाखाओं में आने की संभावना है। यह ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं पर अधिक लागू होता है वहां ऐसे खाते और लाभार्थी हैं और जहां कर्मचारियों की संख्या भी बहुत कम है।

हमें स्पष्ट करना है कि बैंकिंग सेवा अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) के तहत एक आवश्यक सेवा नहीं है, लेकिन फिर भी यह आम जनता के लिए बैंकिंग सेवा की विशाल उपयोगिता के मद्देनजर, सार्वजनिक उपयोगिता सेवा है। बहरहाल, राष्ट्रीय आपदा, विपत्ति आदि के अवसरों पर बैंकिंग सेवायें बहुत महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक हो जाती हैं।

इसलिए हमें समस्याओं, जो हम कर्मचारी के रूप में सामना करते हैं, के बावजूद ऐसे सभी अवसरों पर बड़े पैमाने पर लोगों को बैंकिंग सेवायें प्रदान करने की आवश्यकता है। कोरोना संकट की स्थिति भी एक ऐसा ही अवसर है और इसलिए आम लोगों को बैंकिंग सेवाओं की आवश्यकता है। इसलिए एआईबीईए के सदस्यों के रूप में जो जनता की भलाई के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम उनके लिए सर्वोत्तम संभव सेवायें प्रदान करने की पूरी कोशिश करेंगे।

लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमने नियमों और कानूनों का उल्लंघन किया है। और अब, वर्तमान परिस्थितियों में, देशव्यापी लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंधों का मुख्य कारण कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लोगों के बीच सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करना है।

इसलिए लोगों की सेवा करने के लिए अपनी शाखाओं में उपस्थित होने के दौरान, हमारे सदस्यों को सामाजिक दूरी के मानकों का भी पालन करना चाहिए ताकि कर्मचारी किसी भी ग्राहक से या इसके उलट संक्रमण से प्रभावित न हों।

बैंक प्रबंधन पहले ही इस संबंध में अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों के विभिन्न दिशानिर्देश जारी कर चुके हैं और हमारी सभी शाखा इकाईओं और कर्मचारियों को इसका सख्ती से पालन करना चाहिए।

आगामी सप्ताहों में शाखाओं में ग्राहकों की संभावित भीड़ के मुद्दे पर वापस आते हुए, हमने पहले ही वित्त मंत्रालय तथा इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ इस मामले को उठाया है।

जबकि शाखाओं में उपस्थित होने के लिए सभी प्रयास किए जायेंगे, यदि कोई परिवहन की अनुपलब्धता के कारण कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पाता है, तो इसकी सूचना शाखा प्रबंधक को दी जानी चाहिए।

**इस बीच, हम दोहराते हैं कि सभी शाखाओं और कर्मचारियों को ग्राहकों की सेवा करते समय निम्नलिखित सुझावों को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए।**

1. परिसर के अंदर भीड़ से बचने के लिए केवल एक-एक करके शाखा के अंदर ग्राहकों को अनुमति देने के लिए शाखा प्रबंधक से बात करें।
2. शाखाओं में प्रवेश करने से पहले ग्राहकों को हाथ धोने वाले लिक्विड से सैनिटाइज्ड किया जाना चाहिए।
3. ग्राहक उन काउंटरों के बहुत नजदीक न आयें जहां कर्मचारी काम कर रहे हैं – सामाजिक दूरी सुनिश्चित करें।
4. सभी कर्मचारी मास्क, दस्तानों आदि के साथ उचित रूप से ढके होने चाहिए।
5. कैश काउंटरों को संभालने वाले कर्मचारियों द्वारा विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।
6. जहां भी, शाखाओं में चौकीदार, सशस्त्र गार्ड, सुरक्षा कर्मचारी आदि हैं, उन्हें परिसर में ग्राहकों के प्रवेश को नियंत्रित करना चाहिए।
7. आदर्श रूप में, ग्रिल/प्रवेश द्वार को बंद रखा जा सकता है और ग्राहकों को एक-एक करके अनुमति दी जा सकती है।
8. जहां भी भीड़ अधिक है या हम अनुभव करते हैं कि वे सहयोग नहीं कर सकते और शाखाओं में जबरदस्ती घुस सकते हैं, तब ग्राहकों को ग्रिल गेट पर ही रोका जा सकता है और हम ग्रिल गेट के माध्यम से उनकी सेवा कर सकते हैं।
9. यदि भीड़ अधिक है और असहनीय है, तो शाखा प्रबंधक से अनुरोध किया जाना चाहिए कि वे ग्राहकों को नियंत्रित करने में मदद के लिए स्थानीय पुलिस की सहायता लें।
10. ग्राहकों के साथ किसी भी अनुचित बातचीत में न पड़ने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
11. सुरक्षित रहने के लिए, ग्राहकों के लिए शाखा खोलने से पहले, बैंकिंग कार्यसमय के बाद, शाखा परिसरों को सैनिटाइज्ड/फर्श साफ किया जाना चाहिए।

ग्राहकों की सेवा करें, लेकिन सुरक्षित रहें, सभी सावधानियां बरतें।

आपका साथी

ह...

सी.एच. वेंकटचलम्  
महामंत्री